रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 976] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई, 14, 2008/आषाढ़ 23, 1930

No. 976] NEW DELHI, MONDAY, JULY 14, 2008/ASADHA 23, 1930

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2008

का.आ. 1678(अ).—केन्द्रीय सरकार ने किंगडम ऑफ स्पेन के साथ आपराधिक मामलों के संबंध में किंगडम ऑफ स्पेन में किसी व्यक्ति पर समन या वारंट की तामील करने के लिए ठहराव किए हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105 की उप-धारा (1) के अनुसरण में यह निदेश देती है कि भारत में किसी न्यायालय द्वारा,—

(क) किसी अभियुक्त व्यक्ति को समन, या

(ख) किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट, या

(ग) किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाला कोई समन, कि वह हाजिर हो और कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु पेश करे अथवा उसे प्रस्तुत करे, या

(घ) कोई तलाशी वारंट,—

किंगडम ऑफ स्पेन में केन्द्रीय प्राधिकारी के माध्यम से, उस देश में तत्समय प्रवृत विधि के अधीन प्राधिकार रखने वाले न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को दो प्रतियों में, उस न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को निदेश देते हुए, जारी किया जाएगा कि वह ऐसे समन या वारंट की उसमें नामित व्यक्ति पर तामील या निष्पादन करे ।

2. केन्द्रीय सरकार यह और निदेश देती है कि ऐसा समन या वारंट किंगडम ऑफ स्पेन के केन्द्रीय प्राधिकारी को परेषित किए जाने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजा जाएगा ।

[फा. सं. 2/2/2007-न्या. सेल]

शशि भूषण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2008

S.O. 1678(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Kingdom of Spain for service or execution of summons or warrant in relation to criminal matters, on any person in the Kingdom of Spain;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 105 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby directs that,—

(a) a summons to an accused person, or

(b) a warrant for the arrest of an accused person, or

(c) a summons to any person requiring him to attend and produce a document or other thing, or to produce it, or

(d) a search-warrant,—

shall be issued by a Court in India, in duplicate, to the Court, Judge or Magistrate having authority, under the law in force in that country, through the Central Authority in the Kingdom of Spain directing that Court, Judge or Magistrate to serve such summons or execute such warrant on the person named therein.

2. The Central Government further directs that such summons or warrant shall be sent to the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, for transmission to the Central Authority in the Kingdom of Spain.

[F. No. 2/2/2007-Judl. Cell]

SHASHI BHUSHAN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2008

का.आ. 1679(अ).—केन्द्रीय सरकार ने किंगडम ऑफ स्पेन के साथ आपराधिक मामलों के संबंध में किंगडम ऑफ स्पेन में किसी व्यक्ति पर समन या वारंट की तामील या उनके निष्पादन के लिए ठहराव किए हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105 की उप-धारा (2) के अनुसरण में किंगडम ऑफ स्पेन के ऐसे सक्षम न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को, जिसे उस देश में प्रवृत्त विधि के अधीन किसी अभियुक्त व्यक्ति को समन या किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट या किसी व्यक्ति के हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की अपेक्षा करने वाला समन जारी करने के लिए प्राधिकार है, ऐसे न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जो आपराधिक मामलों के संबंध में भारत में निवास कर रहे व्यक्तियों को ऐसे समन या वारंट जारी कर सकेगा ।

2. केन्द्रीय सरकार यह और निदेश देती है कि यदि जहां किंगडम ऑफ स्पेन से प्राप्त समन या तलाशी वारंट का निष्पादन किया गया है, वहां पेश किए गए दस्तावेज और चीजें या तलाशी के दौरान मिली चीजें, समन या तलाशी वारंट जारी करने वाले न्यायालय को पारेषित किए जाने के लिए किंगडम ऑफ स्पेन में केन्द्रीय प्राधिकारी को गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से भेजे जाएंगे ।

[फा. सं. 2/2/2007–न्या. सेल]

शशि भूषण, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2008

S.O. 1679(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Kingdom of Spain for service or execution of summons or warrant in relation to criminal matters, on any person in the Kingdom of Spain;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (2) of Section 105 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby specifies that a Competent Court, Judge or Magistrate in the Kingdom of Spain having authority, under the law in force in that country, to issue a summons to an accused person, or a warrant for the arrest of an accused person, or summons to any person requiring him to attend and produce a document or other thing, or to produce it, as the Court by which such summons or warrant may be issued to persons residing in India in relation to criminal matters.

2. The Central Government further directs that in a case where a summons or a search warrant received from the Kingdom of Spain has been executed, the documents or things produced or things found in the search shall be forwarded to the Court issuing the summons or search warrant through the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, for transmission to the Central Authority in the Kingdom of Spain.

[F. No. 2/2/2007-Judl. Cell]

SHASHI BHUSHAN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2008

का.आ. 1680(अ).—केन्द्रीय सरकार ने किंगडम ऑफ स्पेन से आपराधिक मामलों के संबंध में किंगडम ऑफ स्पेन में किसी व्यक्ति पर समन या वारंट की तामील के लिए ठहराव किए हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105ख की उप-धारा (1) के अनुसरण में यह निदेश देती है कि भारत के किसी न्यायालय से किसी व्यक्ति को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए गिरफ्तारी के लिए किंगडम ऑफ स्पेन में किसी स्थान में निष्पादित किए जाने वाला वारंट इससे उपाबद्ध प्ररूप में जारी किया जाएगा और ऐसा वारंट दो प्रतियों में गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को किंगडम ऑफ स्पेन में केन्द्रीय प्राधिकारी को पारेषित किए जाने के लिए भेजा जाएगा ।

प्ररूप

(किसी साक्षी को लाने के लिए वारंट)

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 105ख देखिए)

प्रेषिती,

.....न्यायालय/न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किंगडम ऑफ स्पेन

(केन्द्रीय प्राधिकारी, किंगडम ऑफ स्पेन के माध्यम से)

मेरे समक्ष यह परिवाद किया गया है कि .....(पता) के .....(अभियुक्त का नाम और वर्णन) ने .....(अपराध का संक्षेप में उल्लेख कीजिए) का अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और यह प्रतीत होता है कि .....(साक्षी का नाम और वर्णन) के उक्त परिवाद से संबंधित साक्ष्य देने की संभावना है; और यह प्रतीत होता है कि उक्त साक्षी आपकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास कर रहा है;

और मेरे पास यह विश्वास करने का ठोस और पर्याप्त कारण है कि वह तब तक हाजिर नहीं होगा/होगी या निम्नलिखित दस्तावेज या अन्य चीजें पेश नहीं करेगा/करेगी जब तक कि उसे ऐसा करने के लिए विवश न किया जाए :

(i) (जहां उन दस्तावेजों या चीजों की सूची दें जो पेश की जानी हैं)

मुझे.....को, यह अनुरोध करना है और इसके द्वारा मैं यह अनुरोध करता हूँ कि उपर्युक्त कारणों से और उक्त न्यायालय की सहायता के लिए आप उक्त (साक्षी का नाम) को गिरफ्तार कराएंगे और ऐसे व्यक्ति से उपरोक्त सूचीबद्ध दस्तावेज या चीज जो उसके कब्जे में हैं, पेश करने की अपेक्षा भी करेंगे तथा उस व्यक्ति को अभिरक्षा में लिए गए दस्तावेजों या चीजों सहित गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से अग्रोहस्ताक्षरी को भेजेंगे ।

तारीख .....200 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा के अधीन प्रदत्त किया गया ।

न्यायालय की मुद्रा — न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर

[फा. सं. 2/2/2007–न्या. सेल]

शशि भूषण, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2008

S.O. 1680(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Kingdom of Spain for services or execution of summons or warrant in relation to criminal matters, on any person in the Kingdom of Spain;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 105B of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby directs that a warrant from a Court in India for arrest of a person to attend or produce a document or other thing, to be executed in any place in the Kingdom of Spain shall be issued in the form annexed hereto and that such warrant shall be sent in duplicate to the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, for transmission to the Central Authority in the Kingdom of Spain.

FORM

WARRANT TO BRING UP A WITNESS

(See Section 105B of the Code of Criminal Procedure, 1973)

To

The Court...../Judge or Magistrate in the Kingdom of Spain.

(Through the Central Authority, the Kingdom of Spain)

Whereas complaint has been made before me that (name and description of the accused) of (address) has (or is suspected to have) committed an offence of (mention the offence concisely), and it appears to me that (name and description of witness) is likely to give evidence concerning the said complaint; and, whereas, it appears that the said witness is residing within the local limits of your jurisdiction;

And, whereas, I have good and sufficient reason to believe that he/she will not attend or produce the following documents or other things unless compelled to do so;

(i) (Here give the list of documents or things to be produced)

I, ..., have the honour to request and hereby do request that for the reasons aforesaid and for the assistance of the said Court, you will be pleased to cause the said (Name of the witness) to be arrested and also require such person to produce the document or thing listed above, which may be in his/her possession and to forward the person in custody alongwith the documents or things to the undersigned through the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.

Given under my hand and the seal of the Court this.....day of.....200.....

Seal of the Court Signature of the Judge/Magistrate

[F. No. 2/2/2007-Judl. Cell]

SHASHI BHUSHAN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2008

का.आ. 1681(अ).—केन्द्रीय सरकार ने किंगडम ऑफ स्पेन से आपराधिक मामलों के संबंध में किंगडम ऑफ स्पेन में किसी व्यक्ति पर समन या वारंट की तामील के लिए ठहराव किए हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105ख की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह निदेश देती है कि किसी आपराधिक मामले में अन्वेषण या जांच के दौरान किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए किंगडम ऑफ स्पेन में किसी स्थान पर तामील या निष्पादित किए जाने वाले, यथा स्थिति, समन या वारंट, इससे उपबद्ध, यथास्थिति, प्ररूप 'क' या प्ररूप 'ख' में जारी किए जाएंगे और ऐसे समन या वारंट किंगडम ऑफ स्पेन में केन्द्रीय प्राधिकारी को पारेषित किए जाने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे ।

प्ररूप-क

साक्षी को वारंट

[दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 105ख की उप-धारा (2) देखिए]

प्रेषिती,

.....

.....

(केन्द्रीय प्राधिकारी, किंगडम ऑफ स्पेन के माध्यम से)

मेरे समक्ष यह परिवाद किया गया है कि ..... (पता) के .....(अभियुक्त का नाम) ने ....(समय और स्थान सहित अपराध का संक्षेप में उल्लेख कीजिए) का अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और मुझे यह प्रतीत होता है कि यह संभावना है कि आप अभियोजन के लिए तात्विक साक्ष्य देंगे या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करेंगे ;

इसके द्वारा आपको समन किया जाता है कि ऐसा दस्तावेज या चीज पेश करने या उक्त आवेदन के विषय में संबंधित आप जो कुछ जानते हैं उसका साक्ष्य देने के लिए न्यायालय के समक्ष तारीख ..... को पूर्वाह्न/अपराह्न में हाजिर हों और उसके पश्चात् न्यायालय के आदेश के बिना न जाएं, और आपको इसके द्वारा चेतावनी दी जाती है कि यदि आप उक्त तारीख को न्यायसंगत हेतुक के बिना हाजिर होने में उपेक्षा करेंगे या उससे इंकार करेंगे, तो आपको हाजिर कराने के लिए वारंट जारी किया जाएगा ।

तारीख .....2008 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा के अधीन प्रदत्त किया गया ।

न्यायालय की मुद्रा न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर

प्ररूप-ख

साक्षी को लाने के लिए वारंट

[दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 105ख की उप-धारा (2) देखिए]

प्रेषिती,

.....न्यायालय/न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट, किंगडम ऑफ स्पेन

(केन्द्रीय प्राधिकारी, किंगडम ऑफ स्पेन के माध्यम से)

मेरे समक्ष आवेदन किया गया है कि .....(पता) के .....(अभियुक्त का नाम और वर्णन) ने.....(समय और स्थान सहित अपराध का संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए) का अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और मुझे यह प्रतीत होता है कि यह संभावना है कि.....(साक्षी का नाम और वर्णन) अभियोजन के लिए तात्विक साक्ष्य देगा या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करेगा और उक्त साक्षी आपकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास कर रहा है और मेरे पास विश्वास करने का ठोस और पर्याप्त कारण है कि वह उक्त मामले के अन्वेषण या जांच में जब तक हाजिर नहीं होगा तब तक कि उसे ऐसा करने के लिए विवश न किया जाए ;

मुझे .....यह अनुरोध करना है और इसके द्वारा मैं यह अनुरोध करता हूँ कि उपर्युक्त कारणों से और उक्त न्यायालय की सहायता के लिए आप उक्त .....(व्यक्ति का नाम) को गिरफ्तार कराएंगे और गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को अभिरक्षा में भेजेंगे ।

तारीख.....2008 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा प्रदत्त किया गया ।

न्यायालय की मुद्रा न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर

[फा. सं. 2/2/2007-न्या. सेल]

शशि भूषण, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2008

S.O. 1681(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Kingdom of Spain for services or execution of summons or warrant in relation to criminal matters, on any person in the Kingdom of Spain;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (2) of Section 105B of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby directs that a summons or warrant, as the case may be, for attendance of a person in the course of an investigation or inquiry in any criminal case, to be served or executed in any place in the Kingdom of Spain, shall be issued in Forms A or Form B annexed hereto, as the case may be, and such summons or warrant shall be sent to the Ministry of Home Affairs,, Government of India, New Delhi, for transmission to the Central Authority in the Kingdom of Spain.

FORM-A

SUMMONS TO WITNESS

[See sub-section (2) of Section 105B of the Code of Criminal Procedure, 1973]

To

.....

.....

(Through the Central Authority in the Kingdom of Spain)

Whereas an application has been made before me that (Name of the accused) of (address) has (or is suspected to have) committed the offence of (state the offence concisely with time and place) and it appears to me that you are likely to give material evidence or to produce any document or other thing for the prosecution;

You are hereby summoned to appear before the Court on the .....day of .....at.....AM/PM to produce such document or thing or to testify what you know concerning the matter of the said application, and not to depart then without the order of the Court, and you are hereby warned that, if you shall without just cause neglect or refuse to appear on the said date, a warrant will be issued to compel your attendance.

Given under my hand and the seal of the Court this.....day of .....200.....

Seal of the Court Signature of the Judge/ Magistrate

FORM-B

WARRANT TO BRING UP A WITNESS

[See sub-section (2) of Section 105B of the Code of Criminal Procedure, 1973]

To

The Court...../Judge or Megistrate in the Kingdom of Spain.

(Through the Central Authority, the Kingdom of Spain)

Whereas an application has been made before me that.....(name and description of the accused).....of (address) has (or is suspected to have) committed an offence of .....(state the offence concisely with time and place) and it appears to me that.....(name and description of witness) is likely to give material evidence or to produce any document or other thing for the prosecution; and whereas, the said witness is residing within the local limits of your jurisdiction, and whereas, I have good and sufficient reason to believe that he/she will not attend the investigation or inquiry of the said case unless compelled to do so;

I,....., have the honour to request and hereby do request that for the reasons aforesaid and for the assistance of the said Court, you will be pleased to cause the said.....(name of person) to be arrested and to forward him/her in custody to the undersigned, through the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.

Given under my hand and the seal of the Court this.....day of .....200.....

Seal of the Court Signature of the Judge/ Magistrate

[F. No. 2/2/2007-Judl. Cell]

SHASHI BHUSHAN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2008

का.आ. 1682(अ).—केन्द्रीय सरकार ने किंगडम ऑफ स्पेन सरकार से आपराधिक मामलों के संबंध में किंगडम ऑफ स्पेन में किसी व्यक्ति पर समन या वारंट की तामील के लिए उहराव किए हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 285 की उप-धारा (3) के अनुसरण में देती है कि-

(क) किंगडम ऑफ स्पेन में साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन इससे उपाबद्ध प्ररूप में भारत के न्यायालयों द्वारा किंगडम ऑफ स्पेन के किसी सक्षम दंड न्यायालय को, जिसे किंगडम ऑफ स्पेन में प्रवृत्त विधि के अधीन अधिकार प्राप्त है, जारी किया जाएगा; और

(ख) ऐसा कमीशन, किंगडम ऑफ स्पेन में केन्द्रीय प्राधिकारि को परीक्षित किए जाने के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजा जाएगा ।

प्ररूप

भारत से बाहर साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन

[दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 285 की उप-धारा (3) देखिए]

न्यायालय .....

प्रेषिती,

.....

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से)

मुझे यह प्रतीत होता है कि मामला संख्या ..... वनाम ..... न्यायालय ..... में ..... का न्याय के उद्देश्य से साक्ष्य आवश्यक है और ऐसा साक्षी आपकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास कर रहा है, मुझे ..... आपसे अनुरोध करना है और इसके द्वारा अनुरोध करता हूँ कि आप उपरोक्त कारणों से और उक्त न्यायालय की सहायता के लिए उक्त साक्षी को समय और स्थान पर जो आप नियत करें, हाजिर होने के लिए समन और ऐसे साक्षियों की परीक्षा उन परिप्रश्नों, मौखिक परीक्षा के लिए) के आधार पर करवाएं जो इस कमीशन के साथ भेजे जा रहे हैं;

कार्यवाही का कोई पक्षकार आपके समक्ष काउन्सेल या अभिकर्ता द्वारा या यदि अभिरक्षा में नहीं है तो स्वयं हाजिर हो सकेगा और (यथास्थिति) उक्त साक्षी की परीक्षाएं प्रतिपरीक्षा, पुनःपरीक्षा कर सकेगा;

और मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूँ कि आप उक्त साक्षी के उत्तर लिखवाएं और सभी बहियों, पत्रों, कागजों और दस्तावेजों को, जो ऐसी परीक्षा के दौरान पेश किए जाएं, पहचान के लिए सम्यक् रूप से चिन्हित कराएं और आपसे यह भी अनुरोध करता हूँ कि आप ऐसी परीक्षा को अपनी सरकारी मुद्रा और अपने हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित करें और उसे इस कमीशन के साथ अधोहस्ताक्षरी को गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से भेजें ।

तारीख .....2008 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के अधीन प्रदत्त किया गया ।

न्यायालय की मुद्रा न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर

[फा. सं. 2/2/2007-न्या. सेल]

शशि भूषण, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2008

S.O. 1682(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Kingdom of Spain for taking of the evidence of witnesses residing in the Kingdom of Spain in relation to criminal matters in Courts in India;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of Section 285 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby directs that:—

(a) Commission for examination of witnesses in the Kingdom of Spain shall be issued by the Courts in India in the Form annexed hereto, to any Competent Criminal Court of the Kingdom of Spain having authority under the law in force in the Kingdom of Spain ; and

(b) Such Commission shall be sent to the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, for transmission to the Central Authority in the Kingdom of Spain.

FORM

COMMISSION TO EXAMINE WITNESS OUTSIDE INDIA

[See sub-section (3) of Section 285 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)]

In the Court of .....

.....

To

.....

(Through the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.)

Whereas it appears to me that the evidence of ..... is necessary for the ends of justice in case No. ....., ... V/s. in the Court of .....and that such witness is residing within the local limits of your jurisdiction and his/her attendance cannot be procured without unreasonable delay, expense or inconvenience, I, ...have the honour to request and do hereby request that for the reasons aforesaid and for the assistance of the said Court, you will be pleased to summon the said witness to attend at such time and place as you shall appoint and that you will cause such witness to be examined upon the interrogatories which accompany this Commission (for viva voce);

Any party to the proceeding may appear before you by his/her Counsel or agent or, if not in custody, in person, and may examine, cross-examine or re-examine (as the case may be) the said witness;

And, I, further have the honour to request that you will be pleased to cause the answers of the said witness to be reduced into writing and all books, letters, papers and documents produced upon such examination to be duly marked for identification and that you will be further pleased to authenticate such examination by your official seal and signature and to return the same together with this Commission to the undersigned through the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.

Given under my hand and the seal of the Court this.....day of .....200.

Seal of the Court Signature of the Judge/Megistrate

[F. No. 2/2/2007-Judl. Cell]

SHASHI BHUSHAN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2008

का.आ. 1683(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, किंगडम ऑफ स्पेन के साथ किंगडम ऑफ स्पेन में किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामलों के संबंध में समन या वारंट की तामील या उनके निष्पादन के लिए ठहराव किए हैं ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 290 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अनुसरण में किंगडम ऑफ स्पेन में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले ऐसे सभी न्यायालयों, न्यायाधीशों या मजिस्ट्रेटों को जिन्हें किंगडम ऑफ स्पेन में प्रवृत्त विधि के अधीन प्राधिकार प्राप्त है, ऐसे न्यायालयों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिनके द्वारा भारत में निवास कर रहे साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी किया जा सकेगा ।

[फा. सं. 2/2/2007-न्या. सेल]

शशि भूषण, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2008

S.O. 1683(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Kingdom of Spain for service or execution of summons or warrant in relation to criminal matters on any person in the Kingdom of Spain;

Now, therefore, in pursuance of clause (b) of sub-section (2) of Section 290 of the Code of Criminal Procedere, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby specifies all Courts, Judges or Magistrates exercising jurisdiction in the Kingdom of Spain having authority, under the law in force in the Kingdom of Spain as the Courts by which Commission for the examination of witnesses residing in India may be issued.

[F. No. 2/2/2007-Judl. Cell]

SHASHI BHUSHAN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2008

का.आ. 1684(अ).—केन्द्रीय सरकार ने किंगडम ऑफ स्पेन के साथ किंगडम ऑफ स्पेन में किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामलों के संबंध में समन या वारंट की तामील या उनके निष्पादन के लिए ठहराव किए हैं ;

अत:, केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त संहिता के अध्याय 7क के उपबंध किंगडम ऑफ स्पेन के संबंध में बिना किसी शर्त, अपवाद या प्रतिबंध के इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

[फा. सं. 2/2/2007-न्या. सेल]

शशि भूषण, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2008

S.O. 1684(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Kingdom of Spain for service or execution of summons or warrant in relation to criminal matters, on any person in the Kingdom of Spain;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 105L of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby directs that the provisions of Chapter VIIA of the Criminal Procedure Code, 1973 shall apply without any condition, exception or qualification in relation to the Kingdom of Spain with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. 2/2/2007-Judl. Cell]

SHASHI BHUSHAN, Jt. Secy

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.